मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी-6-3/2007/3-एक भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच प्रकरणों में आयोग के परामर्श से असहमत होने पर कारणों का उल्लेख किया जाना.

संदर्भ.—सा. प्र. वि. का परिपत्र क्र. सी-6-3/97/3/1, दिनांक 18-3-1997 तथा क्र. सी 6-4/1/3/99, दिनांक 18-2-1999.

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 में शासन का ध्यान एक ऐसे प्रकरण की ओर आकर्षित किया है जिसमें विभागीय जांच प्रकरण में 2 वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा गया. आयोग द्वारा प्रकरण में कुछ जानकारी चाही गयी परन्तु इसी बीच प्रशासकीय विभाग द्वारा मंत्री-परिषद आदेश प्राप्त कर दोषमुक्ति का निर्णय लिया जाकर कार्यवाही कर दी गयी. आयोग को न तो अपेक्षित जानकारी भेजी गयी और न ही प्रकरण में लिये गये निर्णय से आयोग को अवगत कराया गया.

2. इस संबंध में संदर्भित परिपत्रों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि मंत्री-परिषद के आदेश सर्वोपरि हैं तथापि प्रावधानित नियमों की उपेक्षा को स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही इनके पालन से मंत्री परिषद् के आदेश प्रभावित होते हैं.

3. उपर्युक्त संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय जांच में यदि प्रथम बार दोषमुक्ति का निर्णय लिया जाता है तो सामान्यतः आयोग के परामर्श की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है परन्तु यदि ऐसे प्रकरण में लोक सेवा आयोग का अभिमत ले लिया गया हो और आयोग का अभिमत प्रशासकीय निर्णय से भिन्न हो या आयोग द्वारा कोई पृच्छा की गयी हो तो आयोग को उसके द्वारा की गयी पृच्छा अथवा अभिमत से असहमति की स्थिति में असहमति के कारणों से अवगत कराया जाना चाहिये.

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें. उपर्युक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यदि निर्देशों की उपेक्षा की जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए.

हस्ता./-
(डी. एस. राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.